न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर
बइजलास–सुनील कुमार (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र सं. 15/2023

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
कालूराम पुत्र श्री रूपाराम जाति खाती निवासी साडोकन तह0 व जिला नागौर।	1. गणेशाराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी ग्राम साडोकन तह0 व जिला नागौर। 2. नरपत पुत्र रूपाराम 3. सुरेन्द्र पुत्र रूपाराम जातियान खाति निवासीगण साडोकन तह0 व जिला नागौर। 4. तहसीलदार, नागौर।

उपस्थित :–
श्री नरपतराम जोशी, (वकील प्रार्थी)
अप्रार्थीगण– एकपक्षीय कार्यवाही

आवेदन पत्र अधीन धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

::आदेश::

दिनांक :– ....

प्रार्थी ने आवेदन पत्र अधीन धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, प्रार्थी के कब्जेकाश्त व खातेदारी का खेत खसरा नं. 79 व 80 वाके मौजा साडोकन स्थित हैं, नकल खतौनी व नक्शा साथ पेश है।

यह है कि प्रार्थी के कब्जासुदा खातेदारी के खेत ख0नं0 79 व 80 वाके मौजा साडोकन के पास अप्रार्थी सं.1 का खेत खसरा नं0 78 व 1238/77 स्थित है। अप्रार्थी से 1 ने अपने साथियों के व परिवार के साथ मिलकर बदद्यान्ति पूर्वक प्रार्थी के खेत पर ट्रैक्टर से प्रार्थी के खेत की सीव – धोरा तोडकर अपने खेत में मिला लिया है प्रार्थी के खेत में से 14 – 15 फुट जमीन अपने खेत में जबरदस्ती मिलाकर कब्जा करने पर पूर्ण रूप से आमादा है इसलिए उक्त खेत पर नाजायज रूप से अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिकमण न हो तथा अपने खेत की सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

यह है कि प्रार्थी के खातेदारी के खेताय ख.नं. 79 व 80 वाके मौजा साडोकन का सीमाज्ञान कर राजस्व अधिकारियों की कमेटी गठित कर नाप करवाकर पुख्ती मुट्ठीबंदी करवाया जाना आवश्यक है इसलिए उक्त खसरे का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अन्त में प्रार्थी द्वारा इस्तदुआ की गई कि, प्रार्थी के खातेदारी के खेताय ख.नं. 79 व 80 वाके मौजा साडोकन तहसील नागौर का सीमाज्ञान कर राजस्व अधिकारियों की कमेटी गठित कर नाप

करवाकर पुख्ती मुट्टीबंदी करवाया जाना आवश्यक है इसलिए उक्त खसरान का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

दिनांक 26.07.2023 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को तारीख पेशी 09.10.2023 को रजि0 एडी नोटिस भेजे गये, जिसकी वकील प्रार्थी ने ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की। ट्रेकिंग रिपोर्ट में अप्रार्थी सं. 2 से 4 की डिलीवरी कन्फर्म तथा अप्रार्थी सं. 1 की ट्रेकिंग रिपोर्ट लेने से इन्कार की हैं, जो तामिल पर्याप्त मानी गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामिल रजि0 एडी नोटिस गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीयक कार्यवाही अमल में लायी गई।

दिनांक 24.01.2024 को प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह अंकित किया हैं कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि की सीमा को लेकर बार–बार विवाद उत्पन्न हो रहे है। इसलिए प्रार्थी मौजा साडोकन तह0 व जिला नागौर के खेत खसरा नम्बर 79 व 80 की मुताबिक रेकर्ड व नक्शा ट्रेस के निर्धारित फिक्सड पॉइन्ट से मौक पर सही नाप चौप करवाया जाकर मुटाम रोपकर पत्थरगढी करवाना चाहते है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उलब्ध समस्त दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया, जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार नागौर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा साडोकन तहसील व जिला नागौर के खेत खसरा नम्बर 79 व 80 की मुताबिक राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस के निर्धारित फिक्सड पॉइन्ट से मौक पर सही नाप चौप करवाया जाकर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायी जावे। इस हेतु तहसीलदार नागौर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर फीस 1000/– रूपये निर्धारित की जाती है जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर ही देय होगे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी हो।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
नागौर

आदेश आज दिनांक .... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
नागौर